वेबसाईट

# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
सप्तम् (शीतकालीन)–सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,बुधवार,दिनांक :–..... 02 अग्रहायण,1938 (श0) को 23 नवम्बर, 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र. पर अंकित रहेंगे :–

| क्रमांक | विभागों को भेजी गई सां0सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 99–अ0सू0–01 | | श्री निरल पुरती | दोषी के विरूद्ध कार्रवाई। | ग्रामीण विकास | 12.11.16 |
| 100–अ0सू0–11 | | श्री ढुलू महतो | रिंग रोड का निर्माण। | नगर विकास एवं आवास | 18.11.16 |
| 101–अ0सू0–09 | | श्री पौलुस सुरीन | मुआवजा का भुगतान। | पथ निर्माण विभाग | 18.11.16 |
| 102–अ0सू0–12 | | श्री नारायण दास | पुल एवं पथ का निर्माण। | ग्रामीण विकास | 18.11.16 |
| 103–अ0सू0–08 | | श्री पौलुस सुरीन | मुआवजा का भुगतान कराना। | पथ निर्माण विभाग | 18.11.16 |
| 104–अ0सू0–10 | | श्री निर्भय कुमार शाहाबादी | सेस को समाप्त करना। | नगर विकास एवं आवास | 18.11.16 |
| 105–अ0सू0–04 | | श्री राधाकृष्ण किशोर | बजटीय प्रावधान की जानकारी देना। | ग्रामीण विकास | 12.11.16 |
| 106–अ0सू0–02 | | श्री अमित कुमार | पुल का निर्माण। | पथ निर्माण विभाग | 12.11.16 |
| 107–अ0सू0–13 | | श्री नागेन्द्र महतो | निविदाओं में भागीदारी। | पथ निर्माण विभाग | 18.11.16 |

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | अ0सू0-07 | श्री जय प्रकाश भाई पटेल | पुल का निर्माण भुगतान । | ग्रामीण विकास | 16.11.16 |
| 109 | अ0सू0-03 | श्री प्रदीप यादव | आवारा कुतों से बचाव। | नगर विकास एवं आवास | 12.11.16 |
| 110 | अ0सू0-05 | श्री राधाकृष्ण किशोर | नाला एवं पथ का निर्माण। | पथ निर्माण विभाग | 12.11.16 |
| 111 | अ0सू0-06 | श्री प्रदीप यादव | दोषियों पर कार्रवाई। | भवन निर्माण विभाग | 16.11.16 |

**राँची,**
दिनांक-23 नवम्बर,2016(ई0)।

**बिनय कुमार सिंह,**
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-3464/वि0स0,राँची,दिनांक- 19/11/16

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

19.11.16

**(अनिल कुमार)**
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-3464/वि0स0,राँची,दिनांक- 19/11/16

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

19.11.16

**उप सचिव,**
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-3464/वि0स0,राँची,दिनांक- 19/11/16

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाइन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

19.11.16

**उप सचिव,**
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

19/11/16

मंगल

99

दिनांक–23.11.2016 को निरल पुरती, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–01

| | प्रश्नकर्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत PMGSY के तहत् Phase 2011-12 [X Phase] में स्वीकृत सड़क JH-23-JIN-005 Hundasai to Burai Kutti road संवेदक श्री साई इन्टरप्राईजेज द्वारा निर्माण किया जा रहा है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के E/W, GSB, WBM Gr-II एवं Gr-III, BT, PCC, Drain/GW इत्यादि कार्य अब तक नहीं हुये है, तत्पश्चात् भी प्रतिवेदन जनवरी 2016 में 54% कार्य प्रगति एवं वर्त्तमान पूर्ण दर्शाया गया है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>(वस्तुस्थिति यह है कि हुण्डासाई से बुराईकुट्टी पथ पर ग्रेड–III तक का कार्य हुआ है। हुण्डासाई से बुराईकुट्टी पथ एवं पोखरिया वानागुटू चौक से बुराईकुट्टी पथ क्रमशः दसवें एवं चौदहवे चरण में स्वीकृत हुआ है, परन्तु दसवें चरण में स्वीकृत पथ के रेखांकन में कार्य नहीं कराकर चौदहवें चरण के पथ के रेखांकन में कार्य कराया गया है, जो अभी भी निर्माणाधीन है।) |
| 3 | क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के धरातल पर कोई कार्य नहीं होने के पश्चात् भी NPCC के पदा0/कर्मियों के मिलीभगत से संवेदक के गलत प्रतिवेदन पर अब तक कार्य के विरूद्ध 1.50 करोड़ राशि निकासी की गई है; | |
| 4 | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में निर्मित योजना में अनियमितता एवं गलत तरीके से सरकारी राशि निकासी करने वाले संवेदक श्री साई इन्टरप्राईजेज एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त पदा0/कर्मियों के विरूद्ध उच्च स्तरीय जाँच कमिटि से जाँच कराकर समुचित कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | पूरे प्रकरण की जाचं की जा रही है। सभी संबंधित का पक्ष लेकर यथावांछित कार्रवाई की जायेगी। |

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1593/16 ग्रा0का0वि.....7452.....राँची/दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3153, दिनांक–12.11.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/16

सरकार के उष सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1593/16 ग्रा0का0वि.....7452.....राँची/दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/11/16

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1593/16 ग्रा0का0वि.....7452.....राँची/दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/11/16

सरकार के उप सचिव।

(100)

**श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक–23.11.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0स0–11 की उत्तर सामग्री।**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि धनबाद शहर का बैंक मोड़ आदि इलाके काफी व्यस्ततम क्षेत्र है जहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को भारी परेशानी का सामाना करना पड़ता है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि धनबाद शहर को जाम मुक्त करने हेतु रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिए जमीन अधिग्रहण किया जा चुका है ; | धनबाद नगर निगम के द्वारा रिंग रोड़ बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, फलतः जमीन अधिग्रहण की कोई कार्रवाई धनबाद नगर निगम के द्वारा नहीं की गई है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि जमीन अधिग्रहण के लगभग दो–तीन वर्षो के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ; | कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद–रिंग रोड़ के अविलंब निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नही तो क्यों ? | धनबाद नगर निगम में रिंग रोड़ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

ज्ञापांक :– 5 / न0वि0 / वि0स0 (अल्प सूचित)–98 / 2016..6362 राँची, दिनांक :– 22/11/16

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0–3453 / वि0स0, राँची दिनांक–18.11.2016 के प्रसंग में उत्तर सामग्री 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/16
(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

D_Rahul_rk_102

(101)

**मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 23.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –<br>1. क्या यह बात सही है कि मेरे प्रयास से खूंटी जिला में सोदे पुल पर अवरूद्व पुल निर्माण लंबे समय से बाधित को पूरा कराया गया है।<br>2. क्या यह बात सही है कि पुल बनकर तैयार हो चुका है, परन्त एप्रौच रोड के लिए ग्रामीणों को अपने जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से एप्रौच रोड का निर्माण रूकी हुई है, जिसे कराना अति आवश्यक है।<br>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान करते हुए कार्य सम्पन्न कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ? | विभाग द्वारा खूंटी जिला में सोदे पुल की स्वीकृति दी गई है एवं पुल का निर्माण पूर्ण कराया गया है। एप्रौच में भू–अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–16 / 2016 8444(5) राँची / दिनांक 22/x/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3451 दिनांक 18.11.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/11/16
**सरकार के उप सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–16 / 2016 8444(5) राँची / दिनांक 22/x/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/11/16
**सरकार के उप सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

102

दिनांक–23.11.2016 को श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–12

| | प्रश्नकर्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | श्री नारायण दास, माननीय स०वि०स० | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत कटवन के ग्राम–गड़याड़ी जोरिया पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं ग्राम–मनसा राय कोरेवा जोरिया पर पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्थानीय दर्जनों गाँव के आमजनों को आवागमन में कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ रहा है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>ग्राम–गड़याड़ी जोरिया पर प्रश्नांकित उच्चस्तरीय पुल हेतु दोनों तरफ जमाबंदी जमीन रहने के कारण भू–अर्जन करना होगा। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत तपोवन मुख्य मार्ग से गड़याड़ी गोवर्द्धा, ग्राम–मसना राय कोरेवा से दुमका मुख्य पथ तथा कटवन से ओराबादी तक आर0ई0ओ0 पथ जर्जर अवस्था में है, जिससे स्थानीय आमजन का आवागमन बाधित है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>(वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नांकित पथ कच्ची सड़क है और बीच में नदी पर पुल नहीं है) |
| 3 | यदि उक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय पुल का निर्माण एवं खण्ड (2) में वर्णित आर0ई0ओ0 पथ का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों? | अगले वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से मनसा राय, कोरेवा जोरिया पर पुल एवं पथ की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। |

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि.....7462.....राँची / दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3454, दिनांक–18.11.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि.....7462.....राँची / दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि.....7462.....राँची / दिनांक–.....22-11-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(103)

**मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 23.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – | |
| 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के प्रखण्ड बसिया के बाकुटोली से सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड मुख्यालय तक पथ निर्माण कार्य चल रहा है। | स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ निर्माण कार्य में अभी तक तक ग्रामीणों को अपने जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। | स्वीकारात्मक। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों को यथाशीघ्र मुआवजा भुगतान कराना चाहती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ? | पथ निर्माण एवं भू–अर्जन की कार्रवाई समानान्तर रूप से की जा रही है । इस पथ के भू–अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–15/2016 8445(5) राँची/दिनांक 22/xi/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3450 दिनांक 18.11.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/11/16
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–15/2016 8445(5) राँची/दिनांक 22/xi/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/11/16
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं०–3452 दिनांक–18.11.2016 के द्वारा प्राप्त श्री निर्भय कुमार शाहावादी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.11.2016 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर।

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में नगर निगम व परिषदों द्वारा शहरी क्षेत्रों के आम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधा जैसे–शहर की साफ–सफाई, रोशनी, कीटनाशक दबाओं का छिड़काव, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, आवारा कुत्तों व पशुओं से निजात दिलाने के साथ–साथ कई और नागरिक सुविधा शामिल है, जिसके बदले कर (टैक्स) लेने का प्रावधान है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राँची के एक–दो ईलाकों को छोड़ राज्य के किसी भी जिलें में उक्त निगम व परिषद द्वारा न तो किटनाशक दवाओं को छिड़काव की जाती है और न ही शिक्षा या स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित कर (टैक्स) के अलावे राज्य के नागरिकों से बिना देय सुविधा के वर्षों से शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर भी कर (टैक्स) वे सेस की वसूली की जाती है ; | अस्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–3 में वर्णित कर (टैक्स) व सेस को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | नगर निकायों के द्वारा नागरिकों को देय सुविधाओं के बदले कर की वसूली की जाती है। नगर निकायों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से नागरिकों से कर की वसूली किया जाना नगर निकायों के हित में है। |

**झारखण्ड सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

ज्ञापांक :–8/अ०सू०/105/2016/न०वि०आ० 6359/ राँची, दिनांक :– 22/11/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–3452 दि0–18.11.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/11/16
सरकार के उप सचिव।

105

दिनांक–23.11.2016 को राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–04

| | प्रश्नकर्ता | उत्तरदाता |
|---|---|---|
| | श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के ग्रामीण पथों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु राज्य सरकार द्वारा मरम्मति नीति–2015 बनायी गयी है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि राज्य के जर्जर 15000 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों की विशेष मरम्मति और रख–रखाव हेतु वर्षवार लक्ष्य तथा बजटीय प्रावधान क्या है? | राज्य की लगभग 1000 कि0मी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ तथा 2965 कि0मी0 राज्य संपोषित पथ काफी क्षतिग्रस्त है जिसकी समुचित मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु लगभग 1000 करोड़ का व्यय संभावित है।<br>वर्ष 2016–17 में अनुरक्षण एवं मरम्मति मद 2515 में 100 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। |

झारखण्ड सरकार
**ग्रामीण विकास विभाग**
**(ग्रामीण कार्य मामले)**

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1592/16 ग्रा0का0वि.....7419.....राँची/दिनांक–..21-11-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3137, दिनांक–12.11.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1592/16 ग्रा0का0वि.....7419.....राँची/दिनांक–..21-11-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/16

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–1592/16 ग्रा0का0वि.....7419.....राँची/दिनांक–..21-11-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/16

सरकार के उप सचिव।

(106)

**मा0, स0वि0स0, श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक 23.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – | |
| 1. क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान सभा के सिल्ली प्रखंड में चोकेसेरेंग पुल के निर्माण में अनियमितता हेतु गठित कमिटि द्वारा जाँच प्रतिवेदन में दोषियों को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन विभाग को सौंपा गया है ; | अस्वीकारात्मक ।<br>सिल्ली प्रखंड अन्तर्गत चोकेसेरेंग पुल के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के आरोपी अभियंताओं के विरूद्ध मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा कोषांग), झारखण्ड, राँची द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु पथ निर्माण विभाग को अनुशंसा किया गया है । |
| 2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रतिवेदन में चिन्हित दोषियों पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है एवं चोकेसेरेंग पुल का निर्माण भी नहीं किया गया है ; | अस्वीकारात्मक ।<br>श्री प्रकाश मिश्र, तदेन कनीय अभियंता, सिल्ली प्रखंड के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर दण्ड अधिरोपित किया गया है।<br>श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, सिल्ली प्रखंड के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।<br>जहाँ तक चोकेसेरेंग पुल के निर्माण कार्य का प्रश्न है, उक्त पुल का स्वामित्व ग्रामीण विकास विभाग के पास है । |
| 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई एवं पुल का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ? | उपयुक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–13/2016 8446(5) राँची/दिनांक 22/xi/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3146 दिनांक 12.11.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22/11/16

**सरकार के उप सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(107)

**मा0, स0वि0स0, श्री नागेन्द्र महतो द्वारा दिनांक 23.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – | |
| 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों के अभियंत्रण सेल PWD CODE-2012 के तहत् संचालित हो रही है। | स्वीकारात्मक। |
| 2. क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों से निकलनेवाली निविदाओं में नये निबंधित संवेदकों को वंचित किया जा रहा है। | अस्वीकारात्मक। |
| 3. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित CODE के तहत् नये निबंधित संवेदकों से निबंधन शुल्क लिया जा रहा है, परन्तु इन्हें निविदाओं में भागीदारी नहीं दी जा रही है। | संवेदक निबंधन हेतु पृथक रूप से नियमावली गठित है। जिसके आलोक में नये संवेदकों का निबंधन किया जाता है। |
| 4. क्या यह बात सही है कि खण्ड–3 में वर्णित निविदा नहीं मिलने से स्थानीय बेरोजगार संवेदकों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। | निविदा आमंत्रण अखबार/ऑनलाईन के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। जिसमें वर्णित शर्तों के अनुरूप निविदाकार भाग लेने हेतु स्वतंत्र है। |
| 5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नये निबंधित संवेदकों को निविदाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों ? | |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–17/2016 8447(5) राँची/दिनांक 22/xi/16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3449 दिनांक 18.11.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22.11.16

**सरकार के उप सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11– अ0सू0–17/2016 8447(5) राँची/दिनांक 22/xi/16
प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22.11.16

**सरकार के उप सचिव**

108

**श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–23.11.2016 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–07**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता |
|---|---|
| **श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0** | **श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।** |
| 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के नरकी पंचायत में पेन्दरवा और डोमोबेड़ा के बीच नदी पर पुल एवं पिपराबेड़ा के करमा नाला पर पुल नहीं रहने से उक्त क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में कठिनाई होती है, उक्त क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य क्षेत्र है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। |
| 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थल पर शीघ्र पुल का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नही, तो क्यों ? | अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल के अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। |

## झारखण्ड सरकार

**ग्रामीण विकास विभाग**

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 315 / 2016 / ग्रा0का0 7426 राँची, दिनांक : 21-11-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3321 वि0स0 दिनांक 16.11.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/16

(नन्द कुमार ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 315 / 2016 / ग्रा0का0 7426 राँची, दिनांक : 21-11-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/16

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 315 / 2016 / ग्रा0का0 7426 राँची, दिनांक : 21-11-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/11/16

सरकार के उप सचिव

(109)

**झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–3148 दिनांक–12.11.2016 के द्वारा प्राप्त श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 के द्वारा पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 का उत्तर।**

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राँची राजधानी में वर्ष 2016 में अबतक आवारा कुत्तों के काटने से 25,425 लोगों को एंटीरेबिज का इंजेक्शन लेना पड़ा है ; | स्वीकारात्मक।<br>असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–चिकित्सा पदाधिकारी, राँची द्वारा सूचित किया गया है कि राँची राजधानी में वर्ष 2016 (माह जनवरी से अक्टुबर तक) 35,670 लोगों को आवार कुत्तों के काटने पर एंटीरेबिज का इंजेक्शन दिया गया है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिए राँची सहित अन्य जिलों में आवारा कुत्तों से बचाव हेतु ठोस पहल करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | स्वीकारात्मक।<br>राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए बंध्याकरण, शल्य चिकित्सा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु "राज्यस्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति" का गठन किया गया है। विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में आवारा कुत्तों से बचाव हेतु समुचित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>राँची नगर निगम में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण का कार्य मे0 होप एण्ड एनिमल ट्रस्ट के माध्यम से कराया जा रहा है। राँची नगर निगम में विगत तीन वर्षों में किए गए बंध्याकरण की संख्या निम्नवत् है :–<br>वर्ष संख्या<br>2014–15 7212<br>2015–16 11178<br>2016–17 6680(अक्टुबर 2016 तक) |

**झारखण्ड सरकार**
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

ज्ञापांक :–04 / वि0स0 / अ0सू0प्र0 / 164 / 2016 / न0वि0 6369 / राँची, दिनांक :– 22/11/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3148, वि0स0, दि0–12.11.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.11.16
सरकार के अवर सचिव।

(110)

**मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 23.11.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –<br>1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पड़वा–छत्तरपुर–हरिहरगंज (NH-98) पथ की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण झारखण्ड बिहार और उत्तर प्रदेश के वाहनों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;<br>2. क्या यह बात सही है कि छत्तरपुर शहर, जिसकी लम्बाई 5 KM है, में सड़क के दोनों ओर नाले के नहीं रहने के कारण सड़क पर ही जल जमाव होने से नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गयी है ;<br>3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि छत्तरपुर शहर में नाले का निर्माण तथा पड़वा–छत्तरपुर–हरिहरगंज (NH-98) पथ की वृहद मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ? | राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–98 के कि0मी0 25.6 (हरिहरगंज) से कि0मी0 79.147 (पड़वा मोड़) का स्वामित्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है।<br>राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–98 के कि0मी0 57.00 (शिलदाग, छत्तपरपुर) से पड़वा मोड़ तक कुल 22.00 कि0मी0 पथ के चौड़ीकरण (10 मी0 चौड़ाई में) एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए रू0 90.34 करोड़ की स्वीकृति MoRT&H के द्वारा प्रदान की गई है, जिसकी निविदा आमंत्रित की गई है ।<br>शेष पथांश को चार लेन करने का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) पथ निर्माण विभाग के द्वारा तैयार कर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार को समर्पित किया गया है जिसमें पथ की सारी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है ।<br>छत्तरपुर के Existing पथांश के चौड़ीकरण कार्य का DPR प्रक्रियाधीन है । इसमें पथ की सभी जरूरत (नाली निर्माण) का प्रावधान रखा गया है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–12/2016 8448(5) राँची/दिनांक 22/XI/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3147 दिनांक 12.11.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

22.11.16

**सरकार के उप सचिव,**
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

111

**श्री प्रदीप कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 23.11.16 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 6 का कंडिकावार उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्रम सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि भवन प्रमंडल–2, राँची के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता अन्य कर्मियों एवं ठेकेदार के साँठ–गाँठ से बिना कार्य कराये ही वित्तीय वर्ष– 2013–14, 14–15 एवं 15–16 में 19 करोड़ रूपये का निकासी एवं भुगतान किया गया है; (सन्दर्भः–दैनिक भास्कर, दिनांक– 27.10.16) | उल्लेखित आरोप के आलोक में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या– 262 दिनांक– 17.11.16 द्वारा सम्बद्ध मामले पर जाँच कराने हेतु जाँच समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति को दिनांक– 27.11.16 तक जाँच–प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करने का निदेश दिया गया है। |
| 2. | क्या यह बात भी सही है कि उक्त वित्तीय अनियमितता में संलिप्त पदाधिकारियों एवं ठेकेदारो के विरूद्ध अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है; | जाँच समिति द्वारा जाँच–प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जाँच–प्रतिवेदन के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। |
| 3. | यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों को तत्काल निलंबित कर सरकारी राशि की वसूली एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो? | जाँच समिति द्वारा जाँच–प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जाँच–प्रतिवेदन के आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। |

झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः–भ0–03 विधायी (अ0सू0)–63/2016–3155(अ)        राँची, दिनांकः–21-11-16

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक– 3313 दिनांक– 16.11.16 के प्रसंग में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/2016

सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची